भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3875

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल

3875. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किए गए उपायों/चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) मंत्रालय ने 2017-2030 के लिए रणनीतिक लक्ष्य तैयार किया है जिसमें मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक "हर घर जल" प्राप्त करवाने का लक्ष्य रखा है अर्थात् राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी)-2030 पर सहमति देते समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए अधिकतम वर्ष 2030 तक ग्रामीण आबादी को नल जल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन द्वारा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन किया है ताकि इसे प्रतिस्पर्धी, लक्ष्य आधारित और परिणाम उन्मुख बनाया जा सके जिससे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को 4 वर्षों की अवधि में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन आरंभ किया था।

(ख) इस मंत्रालय का अधिदेश ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यद्यपि यह राज्य का विषय है यह मंत्रालय इसके लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार में कार्यान्वयन एजेन्सियाँ सतही जल के अतिरिक्त भूजल का दोहन करती हैं, आबादी को आपूर्ति करने से पहले विशिष्ट मानकों के अनुसार गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, उसका शोधन करती हैं।